स्मृति - पत्र

1.	संस्था का नाम	:	चौधरी चरण सिंह शिक्षा समिति
2.	संस्था का पता	:	चौधरी निवास , निकट राजकीय इन्टर कालेज गांधीनगर , जनपद – बस्ती , उ0 प्र0
3.	संस्था का कार्यक्षेत्र	:	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4.	संस्था का उद्देश्य	:	
		1.	भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश द्वारा स्वीकृत नियमानुसार शिक्षा की व्यवस्था करना। तत्संबन्धी योजनाओं को कार्यान्वित करना।
	प्रबन्धक चौधरी चरण सिंह शिक्षा समिति बस्ती	2.	छात्र / छात्राओं को प्राथमिक शिक्षा , माध्यमिक शिक्षा , उच्च शिक्षा , उच्चतर शिक्षा , वैज्ञानिक शिक्षा (कम्प्यूटर एवं इलेक्ट्रानिक) , तकनीकि शिक्षा , प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सीय शिक्षा , कृषि शिक्षा एवं खेल संबन्धी शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराना।
	अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह शिक्षा समिति बस्ती	3.	छात्र / छात्राओं मे नैतिकता का विकास करना एवं उनके अन्दर धर्म निरपेक्षता की भावना एवं राष्ट्रीय एकता की भावना जाग्रत करना।
		4.	दलितों , पिछडो निराश्रितों एवं अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं को जागृत कर जीवन उपयोगी शिक्षा आवासीय एवं पुस्तकीय सहायता उपलब्ध कराना।
		5.	छात्र / छात्राओं के ज्ञानवर्धन हेतु पुस्तकालय , वाचनालय एवं देशाटन की व्यवस्था करना।
		6.	छात्र / छात्राओं के लिये उद्योगात्मक , रचनात्मक , दस्तकारी , कला कौशल , कढाई , सिलाई , बुनाई , संगीत आदि शिक्षा की व्यवस्था करना।
		7.	केन्द्रीय सरकार / राज्यसरकार से अनुदान प्राप्त कर दलितों , पिछड़ी जाति , निराश्रितों एवं अल्पसंख्यक छात्र / छात्राओं के लिये आवासीय व्यवस्था सुलभ कराने हेतु छात्रावास का निर्माण कराना।

		8.	खेती में काम आने वाले विकसित एवं वैज्ञानिक यंत्रों की कृषकों को जानकारी देना।
		9.	बाढ़ , सूखा तथा दैवी आपदाओं से पीड़ित जनता की सेवा करना।
		10.	नेत्रहीन तथा विकलांग व्यक्तियों की सेवा तथा सहायता करना।
		11.	नशाबन्दी , परिवार कल्याण तथा दहेज विरोधी कार्यक्रमों को प्रसारित करना।

चौधरी चरण सिंह शिक्षा समिति
बस्ती

अध्यक्ष
चौधरी चरण सिंह शिक्षा समिति
बस्ती

प्रबन्धकारिणी सदस्यों का नाम, पता , व्यवसाय एवं पद जिनको संस्था के नियमों के अनुसार कार्यभार सौपा गया :

क्र0 सं0	नाम	पिता/पति का नाम	पद	पता	व्यवसाय
1.	श्री रामप्रसाद चौधरी	स्व0 मानिक राम चौधरी	प्रबंधक	गांधीनगर , बस्ती	कृषि
2.	श्री झिनकान चौधरी	श्री भागीरथी चौधरी	अध्यक्ष	नकटी देई , कप्तानगंज , बस्ती	नौकरी
3.	श्रीमती कपुरादेवी	श्री रामप्रसाद चौधरी	उपाध्यक्ष	गांधीनगर , बस्ती	कृषि
4.	श्री सीताराम चौहान	स्व0 मतई चौहान	मंत्री	पूरेतिलक , छावनी , बस्ती	कृषि
5.	श्री अरविन्द कुमार	श्री राजबरन	कोषाध्यक्ष	ग्राम जिगना , पो0 एकडंगी, संतकबीर नगर	कृषि
6.	श्री राजमणि चौधरी	श्री वंशराज चौधरी	सदस्य	परसपुरा ,पो0 बरहटा , बस्ती	कृषि
7.	श्री मथुरा यादव	श्री रामअवध	"	ग्राम एकडंगवा , पो0 वैरागल ,बस्ती	कृषि
8.	श्री माधव वर्मा	श्री पटेश्वरी वर्मा	"	ढोढ़उपुर , हथियागढ , गोंडा	नौकरी
9.	श्री वीरेन्द्र चौधरी	श्री रामलखन चौधरी	"	कमठहिया , गोटवा , बस्ती	कृषि
10.	श्री शिवपूजन	श्री घंमडी	"	ग्राम – डेईडीही बुजुर्ग , पो0 चिलमा बाजार बस्ती	कृषि
11.	श्री हीरा सिंह	स्व0 विजयपाल सिह	"	ओरीजोत , गांधीनगर, बस्ती	नौकरी
12.	श्री जमील अंसारी	श्री नियाज अहमद अंसारी	"	मेंहदावल चौराहा , खलीलाबाद	कृषि
13.	श्री अज्ञा राम		"	ग्राम – कनघुसरा , पो0 उंझी मुस्तहकम , बस्ती	कृषि

प्रबंधक
चौधरी चरण सिंह शिक्षा समिति
बस्ती

झिनकान चौधरी
अध्यक्ष
चौधरी चरण सिंह शिक्षा समिति
बस्ती

सीताराम चौहान

नियमावली

1.	*संस्था का नाम*	:	*चौधरी चरण सिंह शिक्षा समिति*
2.	*संस्था का पता*	:	चौधरी निवास , निकट -- राजकीय इंटर कालेज , गांधीनगर , जनपद -- बस्ती , उ0 प्र0
3.	*संस्था का कार्यक्षेत्र*	:	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4.	*समिति की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग*	:	समिति मे निम्न प्रकार के सदस्य होगें।
	क :-- संरक्षक / संस्थापक	:	ऐसे व्यक्ति जो संस्था को पूर्ण समय दे सकें वह संस्था के लिये तन , मन , धन से समर्पित हो तथा कम से कम एक लाख (100000.00) रूपये नकद या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति संस्था को भेंट स्वरूप प्रदान करेंगें। वे संस्था के संरक्षक होगें।
	ख :-- आजीवन सदस्य	:	ऐसे सदस्य जो संस्था को कम से कम 51001 / -- रूपया नगद अथवा इतने ही मूल्य की सम्पत्ति संस्था को भेंट स्वरूप प्रदान करेंगें। वे संस्था के आजीवन सदस्य होगें।
	ग :-- विशिष्ट सदस्य	:	ऐसे सदस्य जो संस्था को कम से कम 25001 / -- रूपया नगद अथवा इतने ही मूल्य की सम्पत्ति संस्था को भेंट स्वरूप प्रदान करेंगें। वे संस्था के विशिष्ट सदस्य होगें।
	घ :-- सामान्य सदस्य	:	ऐसे सदस्य जो संस्था को कम से कम 11001 / -- रूपया नगद अथवा इतने ही मूल्य की सम्पत्ति संस्था को भेंट स्वरूप प्रदान करेंगें। वे संस्था के सामान्य सदस्य होगें।
5.	*सदस्यता की समाप्ति*	:	निम्नलिखित कारणों से सदस्यों की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी :--
	प्रबन्धक चौधरी चरण सिंह शिक्षा समिति बस्ती	1.	पागल होने पर।
		2.	मृत्यु होने पर।
		3.	त्याग -- पत्र देने पर।
	अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह शिक्षा समिति	4.	न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित होने पर।
		5.	दिवालिया होने पर ।
		6.	निश्चित सदस्यता शुल्क समय से न जमा करने पर।

6.	*संस्था के अंग*	:	संस्था के निम्न अंग होंगें :–
	अ :– साधारण सभा	:	संस्था के सभी वर्ग के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा होगी जिसमें पदाधिकारी भी माने जायेगें। उक्त साधारण सभा का अध्यक्ष पदेन सदस्य होगा।
	ब:– प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति	:	प्रबन्ध समिति में निम्न पदाधिकारी होगें :–
			1. अध्यक्ष 1 (एक) 2. उपाध्यक्ष 1 (एक) 3. प्रबन्धक 1 (एक) 4. मंत्री 1 (एक) 5. कोषाध्यक्ष 1 (एक) 5. सदस्य संख्या 8 (आठ)
	साधारण सभा *(अ) गठन*	:	सभी सदस्य को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा। साधारण सभा की बैठक एक बार जुलाई , जून के मध्य में हुआ करेंगी।
	(ब) सूचना अवधि	:	किसी साधारण सभा की बैठक की सूचना सभा होने के या बैठक होने के 15 दिन पूर्व देना अनिवार्य होगा। किन्तु विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व देना होगा।
	(स) गणपूर्ति प्रबन्धक चौधरी चरण सिंह शिक्षा समिति बस्ती	:	किसी भी बैठक की गणपूर्ति 2/3 सदस्यों द्वारा पूरी मानी जायेगी उससे कम गणपूर्ति हेने पर बैठक स्थगित कर दी जायेगी । पुनः स्थगित बैठक 1 दिन बाद होगी और दोबारा बैठक में गणपूर्ति पर विचार नहीं किया जायेगा किन्तु शर्त यह है कि किसी नये विषय पर विचार नहीं किया जायेगा।
अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह शिक्षा समिति बस्ती	*(द) विशेष वार्षिकअधिवेशन तिथि*	:	संस्था का वार्षिक अधिवेशन वर्ष में 1 बार हुआ करेगी जिसकी तिथि प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति के बैठक में निश्चित की जायेगी।
	(य) साधारण सभा का कर्तव्य	:	साधारण सभा के निम्न कर्तव्य होगें :–
		1	संस्था की समुचित व्यवस्था करना।
		2	संस्था की उन्नति के लिये चन्दा व दान के रूप में धन

		.	एकत्रित करना।
		3.	संस्था के अनुशासन को बनाये रखना।
		4.	दोषी पाये गये कर्मचारियों या सदस्यों को प्रबन्ध कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत करना तथा उन पर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही करना।
		5.	प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों /सदस्यों का चुनाव करना।
8.	*प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति*	:	
	(अ) गठन प्रबन्धक चौधरी चरण सिंह शिक्षा समिति बस्ती	:	संस्था का प्रबन्धक संरक्षक/संस्थापक सदस्यों में से ही चुना जायेगा शेष सभी पदाधिकारियों एंव सदस्यों के चुनाव साधारण सभा द्वारा किया जायेगा जिसमें 5 पदाधिकारी एवं 8 सदस्य होगें। संस्थापक प्रबन्धक श्री रामप्रसाद चौधरी के बाद उनके परिवार का सदस्य ही प्रबन्धक होगा।
	(ब) बैठक अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह शिक्षा समिति बस्ती	:	प्रबन्ध कार्यकारिणी की सामान्य बैठक वर्ष में दो बार हुआ करेगी। विशेष परिस्थितियों में प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति की बैठक किसी भी दिन अध्यक्ष की अनुमति से बुलाई जा सकती है।
	(स) सूचना अवधि	:	प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति के बैठक की सूचना बैठक की तिथि से 15 दिन पूर्व प्रत्येक पदाधिकारियों एवं सदस्यों को लिखित रूप से भेजी जायेगी।
	(द) गणपूर्ति	:	किसी भी बैठक की गणपूर्ति 2/3 सदस्यों द्वारा पूरी मानी जायेगी। बैठक पूर्ति के अभाव में पुनः बुलाई जायेगी।
	(य) रिक्त स्थानों की पूर्ति	:	जो भी पद एवं सदस्यों का स्थान रिक्त होगा उस स्थान की पूर्ति सदस्यों के 2/3 बहुमत से पूर्ण किया जायेगा।
	(र) प्रबन्ध कारिणी समिति का कार्यकाल	:	प्रत्येक कार्यकारिणी 5 वर्ष के अवधि की होगी। उसके उपरान्त प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति का पुनः चुनाव होगा।

9.	*प्रबन्ध कारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :–*		
	अध्यक्ष	*1.*	साधारण सभा एवं कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता करना।
		2.	समिति के किसी सदस्य को समिति के नियमों के विरूद्ध आचरण करने पर तथा अपने निजी स्वार्थ से संस्था को हानि पहुंचाने पर कार्य कारिणी समिति की राय पर निलम्बित करने की स्वीकृति प्रदान करना।
		3.	निलम्बित सदस्य एवं पदाधिकारी के विरूद्ध जांच कराकर दोषी पाये जाने पर सदस्यता समाप्त कर सकने का अधिकार होगा।
		4.	संस्था के हित को सर्वोपरि मानते हुये विशेष अधिवेशन की अनुमति प्रदान करना।
	उपाध्यक्ष	*1.*	अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष का सम्पूर्ण कार्य करना।
		2.	साधारण सभा / प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक उपाध्यक्ष की अनुमति से ही बुलाई जायेगी।
	प्रबन्धक	*1.*	समिति द्वारा संचालित संस्था में कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन एवं बहाल करना तथा दोषी पाये जाने पर समिति के नियमानुसार सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा।
	प्रबन्धक चौधरी चरण सिंह शिक्षा समिति बस्ती	*2.*	संस्था को प्राप्त होने वाले धन, अनुदान, सदस्यता शुल्क आदि बैंक या डाकघर में प्रबन्धक के नाम से जमा करना व निकालना।
	अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह शिक्षा समिति बस्ती	*3.*	संस्था की बिलें प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित होगी। संस्था को प्राप्त होने वाली हर प्रकार की सम्पत्ति प्रबन्धक के नाम से लिया जायेगा।
		4.	संस्था द्वारा अथवा विरूद्ध अदालती कार्यवाही का दायित्व प्रबन्धक पर होगा।
		5.	प्रबन्धक द्वारा ही सदस्य बनाये जायेंगे तथा वही वैध सदस्य होंगे।
	मंत्री	*1.*	समिति की बैठक बुलाना, बैठक की सूचना का प्रसारण

			करना।
		2.	साधारण सभा/प्रबन्धक कारिणी समिति की बैठकों की कार्यवाही लिखना।
		3.	समिति के पंजिका का रख रखाव करना।
		4.	सदस्यों का शुल्क प्राप्त करके रसीद काटना।
	कोषाध्यक्ष	1.	आय – व्यय का लेखा परीक्षण करेगा तथा अपनी रिपोर्ट प्रबन्धक एंव प्रबन्ध समिति को देगा।
		2.	संस्था के कोष का रख रखाव करना तथा बैठक में उसका ब्योरा आदि प्रस्तुत करना।
10.	संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया	:	आवश्यकता पड़ने पर साधारण सभा के सभी सदस्यों की बैठक आहूत कर संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन की प्रक्रिया की जा सकती है। शर्त यह है कि उक्त संशोधन मौजूदा सदस्यों के 2/3 की बहुमत से होगा।
		क.	संस्था की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना।
		ख.	संस्था के स्थायी सम्पत्ति की रक्षा करना।
	चौधरी चरण सिंह शिक्षा समिति बस्ती	ग.	संस्था में छात्र/छात्राओं की प्रगति के लिये निरन्तर विचार व ध्यान रखना।
		घ.	संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उचित व्यवस्था करना।
11.	संस्था को कोष अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह शिक्षा समिति बस्ती	:	वर्तमान समय में प्रबन्धक के पास ही संस्था की चल व अचल सम्पत्ति है जिसका लेखा जोखा प्रबन्धक द्वारा ही रखा जायेगा। संस्था का कोष किसी राष्ट्रीय बैंक या डाकघर में जमा किया जायेगा।
12.	संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण	:	संस्था के आय – व्यय का लेखा परीक्षण विभागीय आडीटर द्वारा समय – समय पर कराया जायेगा।
13.	संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व :–	:	संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व प्रबन्धक पर होगा।
14.	संस्था के अभिलेख	:	संस्था के सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर व कैश बुक आदि प्रबन्धक के पास रहेगा और

			उसका लेखा -- जोखा रखने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक पर होगा।
15.	*संस्था के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के संबन्ध में कार्यवाही*	:	संस्था के विघटन व विघटित होने पर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन की धारा – 13 व 14 के अर्न्तगत दी जायेगी।

दिनांक

सत्य प्रतिलिपि

प्रबन्ध कारिणी समिति के 4 सदस्यों के हस्ताक्षर

1. ....

प्रबन्धक
चौधरी चरन सिंह शिक्षा समिति
बस्ती

2. ....

अध्यक्ष
चौधरी चरन सिंह शिक्षा समिति
बस्ती

3. ....

4. ....